संख्या-24/2026/001-230-24-1-2026-92-2025

प्रेषक,

संजय शुक्ला,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत हाउसहोल्ड इलेक्ट्रीफिकेशन एवं फीडर सिग्रीगेशन संबंधी कार्य हेतु प्राप्त राज्यांश अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-215/अधि0नि0(वित्त)/निधि-2/आय-व्ययक 2025-26/468, दिनांक 21 फरवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत हाउसहोल्ड इलेक्ट्रीफिकेशन एवं फीडर सिग्रीगेशन संबंधी कार्य हेतु अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष-4801-05-190-23-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 456,84,00,000/- (रूपये चार सौ छप्पन करोड़ चौरासी लाख मात्र) (के 60 प्रतिशत/रा 40 प्रतिशत) अर्थात राज्यांश की धनराशि रूपये 182,73,60,000/- (रूपये एक सौ बयासी करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से नगद राज्यांश की धनराशि रूपये 36,72,00,000/- (रूपये छत्तीस करोड बहत्तर लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों की शर्तो/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) पूर्व में स्वीकृत राज्यांश धनराशि रू0 81.00 करोड एवं वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि रू0 36.72 करोड का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 36,72,00,000 (रुपये छत्तीस करोड़ बहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051902300 आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत हाउसहोल्ड इलेक्ट्रीफिकेशन एवं फीडर सिग्रीगेशन के कार्य हेतु अंशपूंजी (केन्द्रांश एवं राज्यांश) मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-117-X-2025-26-दिनांक:19-3-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2026/001-230(1)-24-1-2026-92-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।